राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1569 / 2009 / कोटा

मैसर्स न्यूक्लियर पॉवर कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0,
प्लान्ट साइट, पो.आ. अणुशक्ति वाया, कोटा .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–द्वितीय,
वाणिज्यिक कर, कोटा .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक ....व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरना,
उप राजकीय अभिभाषक ....राजस्व की ओर से

दिनांक : 14 / 09 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **'अपीलार्थी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 9 / ई.टी. / 2009–10 / कोटा, में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश में सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 12(3) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.04.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2005–06 हेतु व्यवहारी का प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(3) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.04.2009 को पारित करते हुए राज्य के बाहर से प्रवेश कर योग्य अधिसूचित विभिन्न माल राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में आयात किये जाने पर प्रवेश कर रूपये 1064322 / – तथा धारा 34ए के अंतर्गत ब्याज रूपये 915317 / – तथा विवरण पत्र ETLA-3 व ETLA-5 विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये शास्ति रूपये 2000 / – का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण

निरन्तर...........2

अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 31.08.2009 द्वारा निर्धारित कर एवं आरोपित शास्ति की पुष्टि की गई है परन्तु ब्याज की गणना सही नहीं पाये जाने पर पुनर्गणनार्थ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। राजस्व द्वारा उक्त अपीलीय आदेश को प्रवेश कर की संवैधानिकता के बिन्दु पर चुनौती देते हुए यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध किये गये करारोपण एवं शास्ति आरोपण की अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये गये जाने संबंधी आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपील आधारों में यथावर्णित आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

4. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रवेश कर की संवैधानिकता की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि0 एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 11.11.2016 में की जा चुकी है, अतः पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद का बिन्दु प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता के सम्बन्ध में है, जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि0 एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य AIR 2016 SC 5617: (2017) 12 SCC 1** के प्रकरण में दिये गये निर्णय में उक्त अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि कर दी गई है एवं व्यवहारी की ओर से भी अब इस बिन्दु पर कोई अन्यथा तथ्य पेश नहीं किया गया है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति की पुष्टि किये जाने के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। ब्याज आरोपण के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है कि ब्याज की गणना उच्च दर से कर दिये जाने के कारण पुनः गणना कर आदेश पारित किया जावे। इस संबंध में भी कोई विधिक या तकनीकी त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

निरन्तर...........3

7. फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ब्याज पुनः गणना के संबंध में प्रकरण प्रतिप्रेषित का निस्तारण दिनांक 30.11.2018 तक आवश्यक रूप से कर दिया जावे। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि ब्याज गणना प्रतिप्रेषित प्रकरण के संबंध में वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 04.10.2018 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय सुनाया गया।

14.09.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य